

राजस्व अपील संख्या 439/2022

अनवान

माणकराम वगेराह बनाम राज्य

दिनांक 22-8-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या निल/2022 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव जम्भेश्वरनगर में पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या निल/2022 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव जम्भेश्वरनगर में पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार ~~सेखाला~~ को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच कर, मौका रिपोर्ट तैयार कर उक्त प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० संभागीय आयुक्त,
जोधपुर